

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-प्रथम, हापुड़।

उपस्थित:- मिताली गोविन्द राव (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP1593)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:- 1542/2026

UPHP010050772026

नदीम पुत्र असलम निवासी मौ. कोटला सादात थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा: 123, 64, 115(2), 351(2) बी.एन.एस.

थाना:- हापुड़ देहात, जिला हापुड़।

मुकदमा अपराध सं०:- 266/2026

आदेश

दिनांक:- 13.07.2026

अभियुक्त नदीम पुत्र असलम की ओर से उपरोक्त प्रकरण में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बल न देने का कथन किया गया है तथा आदेश पत्र पर "Not pressed" का पृष्ठांकन किया गया है।

अस्तु आवेदक/अभियुक्त की तरफ से बल न देने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मिताली गोविन्द राव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय प्रथम, हापुड़।